256
10.50

संख्या– —— /XXXVI(1)/2017-67/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 28 फरवरी, 2017

विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में आई0टी0 कैडर में सृजित 18 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–94/XXXVI(1)/2016-67/2011 दिनांक 29.02.2016 सपठित शासनादेश सं0–343/XXXVI (1)/2016-67/2011 T.C.-I दिनांक 14.07.2016 द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के आई0टी0 कैडर में सृजित 17 अस्थायी पदों तथा संयुक्त निबन्धक (आई0टी0) के सृजित एक पद **कुल 18 पदों** की निरन्तरता वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक बढाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त मद में होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03 –उच्च न्यायालय–00" की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–1270/76–दस दिनांक 20.07.1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07.11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

संख्या– 65 /XXXVI(1)/2017-67/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3. वित्त अनुभाग–7/कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव